(क) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विद्यापीठ के निदेशक तथा अधिकारियों के विरुद्ध आरोप किन तिथियों को प्राप्त हुए थे और उन्हें जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कब भेजा गया था ;

(ख) इन आरोपों का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या विशेष जांच इस बीच पूरी हो गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि जांच अभी तक पूरी नहीं हुई तो विलम्ब के क्या कारण है और इस जांच के कब तक पूरी होने की संभावना है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)**: (क) आरोप मार्च-अप्रैल, 1968 में प्राप्त हुए थे और विभागीय जांच के बाद उन्हें केन्द्रीय जांच ब्यूरो को विस्तृत तहकीकात के लिए 7 सितम्बर, 1968 को भेज दिया गया था।

(ख) आरोप, प्रशासकीय और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में हैं, जैसे छात्रवृत्तियों का अनियमित भुगतान, उपस्थिति रजिस्टर को ठीक-ठीक नहीं रखना, संस्थान के धन के प्रयोग से संबंधित वित्तीय नियमों का पालन नहीं करना।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तहकीकात पूरी कर ली है और रिपोर्ट भी पेश कर दी है। उन्होंने विद्यापीठ के अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों पर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ की सभा द्वारा, 16 मार्च, 1970 को हुई अपनी बैठक में विचार किया गया था तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया गया। और आगे कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**Use of fire-arms in inter-party clashes in West Bengal**

5879. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether fire-arms and explosives have been freely and frequently used in the course of inter-party clashes and gherao and land seizure movements during 1969-70 United Front rule in West Bengal;

(b) whether the United Front Home Ministry issued extensively licences for small arms and guns to the members of C.P.I. (M); and

(c) if so, the number thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) to (c). Facts are being ascertained from the State Government.

**Night Study Houses for Students**

5880. SHRI V. NARASIMHA RAO: Will the Minister of EDUCATION AND YOUTH SERVICES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to introduce a scheme for night study houses for students who are handicapped in their studies in the absence of adequate facilities at their homes;

(b) if so, the broad outlines of the same; and

(c) if not, the reasons for not launching such a scheme?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The U.G.C. scheme of Day Student Houses/Non-Resident Student Centres aims to provide reading facilities to day-scholars during their

leisure hours in the college/University. Some Universities have been keeping the Day-Student Houses/Non-Resident Student Centres open till fairly late in the evening to enable the students to avail of the facilities for longer hours. However, for the majority of non-resident students, provision of Night Study Houses would not be of much help on account of transport and other problems.

**शिक्षा मंत्रालय में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निबटारा**

5882. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
**श्री वंश नारायण सिंह :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 से 28 फरवरी, 1970 के बीच संसद् सदस्यों से उनको तथा उनके मंत्रालय में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए तथा उन में से प्रत्येक में क्या-क्या मामले उठाये गये थे ;

(ख) उनमें से कितने पत्रों के उत्तर अन्तिम रूप से भेज दिये गये हैं तथा ये उत्तर भेजने में अनुमानत: कितना समय लगा ;

(ग) शेष पत्रों के उत्तर न देने के क्या कारण हैं तथा क्या उन्हें इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा जारी किये गये निदेशों का पता है ;

(घ) क्या संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर देने में अनावश्यक विलम्ब इस लिये किया जाता है, जिससे समय बीतने के साथ-साथ उन पत्रों में उठाये गये मामलों का महत्व समाप्त हो जाये; और

(ङ) क्या जिन पत्रों के उत्तर भेजे गये हैं उनमें उठाये गये कुछ मामलों के उत्तर नहीं दिये गये हैं ; और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**संसद्-कार्य विभाग में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का निपटारा**

5883. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :**
**श्री वंश नारायण सिंह :**

क्या **संसद्-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1969 से 28 फरवरी, 1970 के बीच संसद् सदस्यों से उनको तथा उनके विभाग में कुल कितने पत्र प्राप्त हुए तथा उन में से प्रत्येक में क्या मामले उठाये गये थे ;

(ख) उनमें से कितने पत्रों के उत्तर अन्तिम रूप से भेज दिये गये हैं तथा ये उत्तर भेजने में अनुमानत: कितना समय लगा ;

(ग) शेष पत्रों के उत्तर न देने के क्या कारण हैं, तथा क्या उन्हें इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा जारी किये गये निदेशों का पता है ;

(घ) क्या संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर देने में अनावश्यक विलम्ब इसलिये किया जाता है जिससे समय बीतने के साथ-साथ उन पत्रों में उठाये गये मामलों का महत्व समाप्त हो जाये ; और

(ङ) क्या जिन पत्रों के उत्तर भेजे गये हैं उनमें उठाये गये मामलों के उत्तर नहीं दिये गये हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) 1 जनवरी, 1969 से 28 फरवरी, 1970 के बीच 214 पत्र प्राप्त हुए । ये पत्र निम्नलिखित विषयों से संबंध रखने वाले विभिन्न मामलों के बारे में हैं :

(1) संसद् सदस्यों को जीपों, कारों और स्कूटरों का नियतन;

(2) टेलीविजन सेटों का सम्भरण ;